13/7/17	पत्रावली कोर्ट केन्द्र आदेश आप के हाट सेन्टर ओनली सं. दिनांक 13.7.17 को पेश हुई। निर्देश अनुसार टिप्पणी सहित हासिल दाखिल किया गया। पत्रावली फैसला सुनाए हेतु अवार्ड से पेश हो। ↓	प्रतिलिपि दि: (2) 13/07/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2017 केम्प–भोली
पीठासीन अधिकारी : राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 34 / 2009

उनवान

1– श्री चांदमल पिता बिलासीराम सोमानी, निवासी–सोलकी टांकीज रोड़, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। –वादी

बनाम

1– श्रीमती सोनी पत्नि मगना गुर्जर, निवासी–मण्डपिया चाराणान, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
2– श्री गणेश पुत्र मगना गुर्जर, निवासी–मण्डपिया चाराणान, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
3– श्रीमती शशिकला जैन पत्नि विनोद कुमार बम्ब (जैन) निवासी–552 / 23 न्यू हाउसिंग बोर्ड खाखारे वाले सगसजी के पास, शास्त्री नगर , भीलवाड़ा
4– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 187 व 188 राज.टिनेन्सी एक्ट</u>

निर्णय

दिनांक 13.07.2017

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मण्डपिया चारणान में आराजी नम्बर 494 / 2 रकबा 01–00बीघा पर वादी भूमि का खातेदार काश्तकार होकर काबिज था। प्रतिवादीगण भू–माफिया है और वादी की कीमती भूमि को हड़प करने के लिये दिनांक 09. 01.2009 को वादी की बिना जानकारी में बिना ईजाजत से नाजायज तौर पर प्रवेश कर भूमि में अवैध निर्माणकरनेके लिये पत्थर डाल दिये और निर्माण कां करने लगे जिसकी सूचना मिलते ही वादी के द्वारा दिनांक 09.01.2009 को पुलिस थाना सदर में रिपोर्ट की लेकिना थाना अधिकारी ने कार्यवाही करने में शिथिलता बरती व बरत रहे है और निर्माण कार्य प्रतिवादीगण 1,2,3 पत्थर, ईटों से खेत के सड़क की तरफ निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जिससे रास्ता भी रूक जायेगा। इस संबंध में नायब तहसीलदार हमीरगढ़ व पटवारी मण्डपीया से आग्रह किया कि वादी की कृषि भूमि पर निर्माण अकृषि प्रयोजन के तहत निर्माण कर रहे है और लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत मुकदमा बनता है लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। प्रतिवादीगण 1, 2 व 3 के द्वारा निर्माण कार्य करने से दखल हुआ है, विवश व परेशान हुआ है और निर्माण कार्य चालू कर रखा है। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 183,187–बी व 188 राज0 टिटेन्सी एक्ट के तहत जमीन पर कब्जा प्राप्त करने निर्माण कार्य रूकवाने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकारी है / होगया है। अतः वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी नम्बर 494 / 2 रकबा 01–00बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य किया उनको हटाकर एवं प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावें। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादग्रस्त भूमि में